

ग्रामीण विकास विभाग,एस0एस0ओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय,जयपुर

क्रमांक एफ 9(2)/ग्रा.वि./के.भ/स्टोर/2013

जयपुर दिनांक: 10 MAY 2017

कम्प्यूटर ऑपरेटर विथ मशीन हेतु बोली (बिड) आमंत्रण सूचना
एन.आई.बी. संख्या-03/2017-18 दिनांक 09.05.2017

1 ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा मुख्यालय में उपयोग हेतु दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर विथ मशीन, वर्ष भर जब भी आवश्यकता हो के आधार पर, सेवाओं के उपापन (Procurement) के लिये निम्न विवरणानुसार शील बन्द लिफाफे में बोली (बिड) आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	दैनिक किराये पर टैक्सी/कार के मॉडल	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति	बोली दस्तावेज शुल्क	अनुबन्ध की अवधि
1	ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर विथ मशीन/ कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु	10.00 लाख	20,000/-	200/-	एक वर्ष जिसे आपसी सहमति से एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

2 बोली (बिड) दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट <http://sppp.raj.nic.in> पर या ग्रामीण विकास कार्यालय में देखे/प्राप्त किये जा सकते हैं। बोली दस्तावेज उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं या ग्रामीण विकास कार्यालय में निर्धारित फीस रुपये 200/- नकद, बैंकर्स चैक या बैंक ड्राफ्ट के जरिये जमा कराकर बोली प्रस्तुत करने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। वेबसाईट से डाउनलोड बोली दस्तावेज के लिये भी निर्धारित फीस बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराने पर ही बोली स्वीकार्य होगी।

3 बोली (बिड) के समस्त पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या डाली जाकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर निर्धारित प्रतिभूति के साथ शील बन्द लिफाफे में दिनांक 24.05.2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) कमरा नम्बर 8113 प्रथम तल उत्तर-पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को व्यक्तिशः या जरिये डाक प्रस्तुत की जा सकती है। बोली (बिड) लिफाफे पर "एनआईबी संख्या..... कम्प्यूटर ऑपरेटर विथ मशीन अनुबन्धित/कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये बोली (बिड)" एवं "दिनांक.....समय.....बजे से पूर्व नहीं खोला जावे" लिखा जाकर बोली (बिड) प्रस्तुत की जावे।

- 4 बोली (बिड) के साथ अनुमानित वार्षिक लागत की 2 प्रतिशत प्रतिभूति नकद बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या निर्धारित प्रपत्र में भारतीय सिड्यूल बैंक की गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जावें। इसके अभाव में बोली (बिड) पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 5 निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त बोली (बिड) स्वीकार्य नहीं होगी एवं बिना खोले ही वापस लोटा दी जावेगी।
- 6 निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त बोली (बिड) दिनांक 24.05.2017 को सांय 4.00 बजे संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) कमरा नम्बर 8113 प्रथम तल, उत्तर-पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- 7 उपापन संस्था न्यूनतम बोली (बिड) को स्वीकार ही करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी बोली या उसके किसी भी भाग या सभी बोलियों को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।
- 8 बोलीदाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां बोली (बिड) के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदा की कीमत हीमान है।



संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)
कमरा नं० 8113, उत्तरी-पश्चिमी भवन
(एस.एस.ओ. बिल्डिंग)
शासन सचिवालय, जयपुर

CHECK LIST

Bidder is required to furnish the following information:

S. No	Particulars	Enclosed Yes/No	Details (DD/ Cash Receipt No., Date & Amount etc.)	Page No.	Remarks
1	Earnest money of Rs. /- if yes, furnish details				
2	Bid documents (in original)				
3	Terms & Condition duly signed or not?				
4	Lists/ documents enclosed				
5	Firm/Company Registrations				
5	PAN No.				
6	Sevice Tax No.				
7	Others specify				

Note: - Please fillup the PAN and Service Tax Number and other applicable information in the relevant columns.

Signature of Bidder

निविदा की शर्तें

वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र संख्या 8/2008 क्रमांक : प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्यय/2004
दिनांक : 28.07.2008 के विन्दु संख्या 3 के संदर्भ में

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जाएगा।
2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप बनाया जाएगा।
3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
4. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवार्थे जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
5. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह आपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण होवे देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौति की जावेगी।
6. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते हैं जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बड़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
7. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
8. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर निविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
9. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
10. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. भुगतान मासिक तौर पर की जायेगा। लिखित के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य करने के लिये चेक/डी0डी0 से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हों तो उन्हें तत्पश्चात किया जायेगा।
12. समस्त विधिक दायरवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

[8/2008]